

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वत्त मंत्रालय
(राजस्व वभाग)

अ धिसूचना संख्या 51/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 28 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. ...(अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए क ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वत्त मंत्रालय (राजस्व वभाग) की अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 जिसे सा.का.नि. 241 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्न ल खत संशोधन करती है, यथा, -

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (4) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "30,000 टन" को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फाइल संख्या 190354/49/2021-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर स चव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 25/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2021 को सा.का.नि. 241 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2022-सीमा शुल्क, दिनांक 31 मार्च, 2022, जिसे सा.का.नि. 247 (अ), दिनांक 31 मार्च, 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

Notification No. 51/2022-Customs

New Delhi, the 28th September, 2022

G.S.R. ...(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.25/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 241 (E), dated the 31st March, 2021, namely :-

In the said notification, against S.No. 7, in column (4), for the entry, the entry “30,000 tons” shall be substituted.

[F. No. 190354/49/2021-TRU]

(Nitish Karnatak)
Under Secretary to the Government of India

Note: The principal notification No. 25/2021-Customs, dated the 31st March, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2021, and was last amended *vide* notification No. 17/2022-Customs, dated the 31st March, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.247(E), dated the 31st March, 2022.